



2026:AHC:43729-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के अंतर्गत अपील

त्रुटिपूर्ण संख्या - 340 / 2023

एम/एस एडवांस लैंप कोम्पोनेंट और टेबलवेयर प्राइवेट लि.

..... याचिकाकर्ता

बनाम

जी ए आई एल (गैस) लिमिटेड

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दिनकर लाल यश राज वर्मा के लिए , स्वेताश्व अग्रवाल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मधुर प्रकाश

मुख्य न्यायाधीश पीठ

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. अपील वापस लेने के लिए एक आवेदन (सी.एम. निरसन आवेदन संख्या 5, 2026) दायर किया गया है।
2. आवेदन में उल्लिखित कारणों से, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. अपील को वापस लिए गए रूप में खारिज किया जाता है।

फरवरी 26, 2026

(मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली) (न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”